

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प. 1(138)वन/2025

जयपुर, दिनांक :-

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषय:- Diversion of 4.896 hac. for construction of road under PMGSY
Salawadkhurd to Barodiya antari FP/RJ/ROAD/41556/2019 .

संदर्भ:- प्रस्ताव क्षेत्रीय एकीकृत कार्यालय गांधीनगर का आक्षेप दिनांक 17.09.
2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आक्षेप से प्रस्ताव को सीधे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परिवर्तन भारत सरकार नई दिल्ली को अग्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। किंतु प्रस्ताव को परिवेश 1.0 पर भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित किया जाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः कृपया प्रस्ताव को परिवेश 1.0 पोर्टल पर भारत सरकार को अग्रेषित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(बीजो जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि सहायक महानिरीक्षक, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

विशिष्ट शासन सचिव, वन

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD)2019/एफसीए/प्रमुवसं./ 2930

दिनांक 21.11.25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

कार्यालय वन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर
डा. 4525
दि. 22/11/25

कार्या. निशिष्ट शासन सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 5172
दिनांक 25/11/25

विषय:- Diversion of 4.896 ha. For Construction of road under PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari.

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/41556/2019)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्र क्रमांक 8बी/राज001/2025-JPR दिनांक 17.09.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने हेतु लिखा गया है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

hp

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar



B-215 & बी-216 "अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर/302004-B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दूरभाष 0141-2713858, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक: 17th सितम्बर, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाइन क्रमांक FP/RJ/ROAD/41556/2019)

विषय: राजस्थान के कोटा जिले में सलावदखुर्द से बड़ोदिया अंतारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 4.896 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान के पक्ष में डायवर्जन - के संबंध में। (Diversión of 4.896 ha of Protected Forest Land for construction of road from Salawadkhurd to Barodiya Antari under PMGSY in Kota District of Rajasthan in favour of Public Works Department, Kota, Rajasthan- regarding).

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(138)वन/2025 दिनांक 05.08.2025.
महोदय,

I am directed to refer to the above cited proposal submitted by the State Government and inform that the proposal has been scrutinized and noticed in the Site Inspection Report of the DCF that the violation has been done by the User Agency in the year 2007 in an extent of 2.4 ha. As per the Rule 10(2)(v) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, proposals involving violation or requiring post-facto approval are to be submitted directly to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi, for consideration and approval at the appropriate level.

In view of the above, It is requested to submit the proposal directly to the Ministry in accordance with the applicable rules.

This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/Sincerely,

Digitally signed by

Balaji Kari

Date: 17-09-2025

(बालाजी करी/Balaji Kari)

सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General of Forests
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।